

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

आज्ञा-पत्र

उनवान

अरविन्द गुप्ता

बनाम

कृष्णचन्द गुप्ता (Y) गीताबाई

किस्म मुकदमा

धारा-223


अकील संख्या

2023/190

अभिभाषक अपीलान्त

श्री सुकित मीना

अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
19-2-2025	<p>पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक परिषद द्वारा कार्य स्थगित होने से पत्रावली पूर्व आदेश-जुद्धर दिनांक 26-3-2025 को पेश हो।</p> <p>(दीप्ति सिद्धचन्द्र मीना) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा</p>	
26.3.25	<p>पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक कोर्ट एवं अपीलान्तों को रकम-रकम कर लीन और आवाजे लगावायी गयी। फिर भी उनही कोर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का कवलोडन किया गया। पत्रावली में रेस्पोंडेंट उ. 1 एवं 12 के नोटिस समेत तामील जा रिफरेंस एंड डी. आदिनांक तब पेश नहीं किये जाये हैं। अतः पत्रावली अदम लागू एवं अदम पैरवी में खारिज हो जाती है। पत्रावली के फल मुद्रा होना बाद तामील तामील दाखिल इफ्तार हो।</p> <p>(दीप्ति सिद्धचन्द्र मीना) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा</p>	<p>25.3.25 जारी हुए</p> 



P.D.

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय, कोटा केम्प

बारां

01. अरविन्द गुप्ता पुत्र श्री धन्नालाल आयु ६२ वर्ष जाति महाजन निवासी बस स्टेण्ड, रामगढ तहसील किशनगंज जिला बारां (राज०)
02. महावीर गुप्ता पुत्र श्री धन्नालाल आयु ६६ वर्ष जाति महाजन निवासी बस स्टेण्ड, रामगढ तहसील किशनगंज जिला बारां (राज०)

— अपीलान्तगण

बनाम

01. स्व. कृष्णचन्द्र गुप्ता पुत्र स्व. जगन्नाथ गुप्ता निवासी 4-फ-9, अशोक ब्लॉक, विज्ञान नगर कोटा (मृतक)
- 1/1 गीता बाई पत्नि स्व. कृष्णचन्द्र गुप्ता जाति महाजन निवासी 4-फ-9, अशोक ब्लॉक, विज्ञान नगर, कोटा जिला कोटा (राज.)
- 1/2. मंजू पुत्री स्व. कृष्णचन्द्र गुप्ता जाति महाजन निवासी 4-फ-9, अशोक ब्लॉक, विज्ञान नगर, कोटा जिला कोटा (राज.)
- 1/3. शिल्पा पुत्री स्व. कृष्णचन्द्र गुप्ता पत्नि ललित किशोर खण्डेलवाल जाति महाजन निवासी 267, शास्त्री नगर, गुरुद्वारे के पास दादाबाडी, कोटा (राज०)
- 1/4. संजय गुप्ता पुत्र स्व. कृष्णचन्द्र गुप्ता जाति महाजन निवासी FLATE NO. 201, निम्बस टॉवर पेराएमाउन्ट सिम्फनी, क्रॉसिंग रिपब्लिक, गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश)
02. चन्द्रप्रकाश पुत्र हजारीलाल जाति महाजन निवासी 77-78, पोरवाल भवन, बल्लभबाडी, कोटा (राज.)
03. जगदीशचन्द्र गुप्ता पुत्र हजारीलाल जाति महाजन निवासी 2-ए-3, महावीर नगर तृतीय, कोटा (राज.)
04. भवानीशंकर पुत्र हजारीलाल जाति महाजन निवासी गुर्जरो का मोहल्ला तालाब पाडा, बारां (राज.)
05. हेमराज गुप्ता पुत्र हजारीलाल जाति महाजन निवासी बाबा गेस्ट हाऊस के सामने की गली, नारायण टॉकीज के पास, रामगंजमण्डी, जिला कोटा (राज.)

आरविन्द गुप्ता

हस्ताक्षर

06. श्रीमति लाड बाई पुत्री हजारीलाल पत्नि शंभूदयाल जाति महाजन निवासी विजेन्द्र भवन, पाली रोड, नर्सरी के सामने, श्योपुरकलां (मध्यप्रदेश)
07. श्रीमति प्रेम गुप्ता पुत्री धन्नालाल पत्नि स्व. बाबूलाल जाति महाजन निवासी खातियो का मोहल्ला, प्यारेलाल जी की बगीची के पीछे, बारां (राज.)
08. श्रीमति गीता जैन पुत्री धन्नालाल पत्नि रामस्वरुप जैन जाति महाजन निवासी 59, गुलाब विहार, मोरानी मार्केट के सामने, सांगानेर, जिला जयपुर (राज.)
09. श्रीमति बृजेश जैन पुत्री धन्नालाल पत्नि सौभागमल जैन जाति महाजन निवासी 2-बी-4, महावीर नगर तृतीय, कोटा (राज.)
10. श्रीमति मंजू गुप्ता पुत्री धन्नालाल पत्नि सुरेन्द्र गुप्ता जाति महाजन निवासी पोरवाल भवन, बोरखेडा, कोटा (राज.)
11. श्रीमति जयमाला गुप्ता पुत्री धन्नालाल पत्नि दिनेश गुप्ता निवासी पोरवाल टेन्ट हाऊस, सुल्तानपुर, जिला कोटा (राज.)
12. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार किशनगंज जिला बारां

— रेस्पोजेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 R.T. Act विरुद्ध प्रारंभिक डिक्री व निर्णय
दिनांक 04.11.2016 वाद संख्या 115/2014 बरुनवान कृष्णचन्द्र गुप्ता
बनाम चन्द्रप्रकाश वगैरह धारा 88, 89, 53, 188 आर.टी. एक्ट न्यायालय
उपखण्ड अधिकारी किशनगंज

महोदय,

अपीलान्ट की ओर से निम्न आधारों पर यह अपील प्रस्तुत है :-

01. यह कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी कृष्णचन्द्र गुप्ता की मृत्यु होने के कारण अपील में उनके कायम मुकामान रेस्पोजेन्ट क्रम 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 के रूप में जोड़े गये है।
02. यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित एकतरफा प्रारंभिक डिक्री व निर्णय दिनांक 04.11.2016 पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजातों व प्रक्रिया विधि के प्रावधानों से असंगत होने से निरस्तनीय है।
03. यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट क्रम 1 के गम्भीर रूप से बीमार होने ओर क्रम 2 अपीलान्ट क्रम 1 के जैर इलाज हेतु लम्बे समय कोटा अस्पताल में उपस्थित होने से व अपीलान्टगण के अधिवक्ता के न्यायालय में उपस्थित न होने की जानकारी उपरान्त भी अपीलान्टगण के विरुद्ध दिनांक 07.10.2016 को एक तरफा